PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Friday, 14th September 2012, Page: 4
Width: 18.08 cms Height: 14.94 cms, Ref: pmin.2012-09-14.63.41

फार्मा क्षेत्र को रास नहीं आ रहा एफडीआई

बिजनेस भास्कर

फार्मा सेक्टर में 2001 में ही सौ फीसदी एफडीआई को लागू कर दिया गया था। लेकिन अब जानकारों का कहना है कि फार्मा क्षेत्र में एफडीआई के मामले में नियम कानून स्पष्ट नहीं हैं। इसके कारण यह नियम कायदों की एक भूलभुलैया बनकर रह गया है। फार्मा क्षेत्र में 2006 से 2010 के बीच अधिग्रहण की एक पूरी श्रंखला ही चली। देश में कई बड़ी दवा कंपनियों के अधिग्रहण हुए। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि ये जितने भी अधिग्रहण हुए हैं उनमें उन कंपनियों के ज्यादा अधिग्रहण हुए जो लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं। यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि देश में फार्मा सेक्टर को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिये ही खुराक मिल रही है। भारतीय दवा कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और 8-9 फीसदी की दर से वृद्धि की है। हालांकि जहां तक रिसर्च और डेवलपमेंट की बात है तो भारतीय कंपनियां अपने वार्षिक टर्नओवर का दो फीसदी से भी कम इस पर खर्च करती हैं।

खूब हुई है कागजी कवायद

स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशी निवेश को मंजूरी देने पर अपनी कुछ चिंताएं जताई थी। मंत्रालय का कहना था कि अधिग्रहण करने वाली कंपनियां कीमतों में अनधिकृत रूप से बढ़ोतरी कर सकती है। निवेश के लिए शुरूआती स्तर पर ही कई सारे प्रावधान करने की बात उठी थी। इसके लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन परिषद (एफआईपीबी) की मंजूरी के साथ ही भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की मंजूरी भी लेने को अनिवार्य बनाने की बात हुई थी। आयोग से मंजूरी लेने की बात इसलिए कही गई थी ताकि विदेशी कंपनियों द्वारा अनधिकृत रूप से कीमतों में बढ़ोतरी को रोका जा सके। प्रधानमंत्री ने इस अनुशंसा को स्वीकार किया था लेकिन बाद में इसे किनारे कर दिया गया। इस मुद्दे पर गठित माइरा समिति की रिपोर्ट का भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस बारे में एक अंतर मंत्रालय समूह का गठन भी किया गया था जिसमें आर्थिक मामले विभाग, औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग और विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल था। इस समूह की अनुशंसा के आधार पर ही विदेशी निवेश की मंजूरी का रास्ता साफ हुआ।

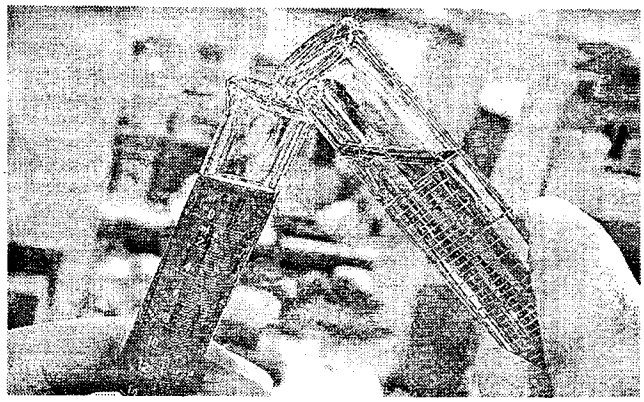

मुश्किल रास्ता

लाभ कमाने वाली कंपनियों का हो रहा है अधिग्रहण

पेटेंट को लेकर कोर्ट में चल रहे हैं कई मामले

कीमतों को बढ़ाचढ़ाकर भी वसूला जा रहा है

पेटेंट अधिकारों को लेकर समस्या

हालांकि इस समय देश को फार्मा सेक्टर को एक अन्य चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। नोवार्टिस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। नोवार्टिस ने कैंसर की एक दवा ग्लाइवेक के पेटेंट के लिए दावा किया है। पेटेंट कंट्रोलर ने इसके आवेदन को खारिज कर दिया था। उसका कहना था कि पेटेंट एक्ट के सेक्शन 3डी के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये मामला मद्रास हाईकोर्ट में भी गया था। भारतीय कंपनी का कहना है कि पेटेंट का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। उधर नोवार्टिस ने सेक्शन 3डी के तहत कोर्ट में इसे चुनौती दी है।

कीमतों का नियंत्रण भी है मुद्दा

जहां तक कीमत की बात है तो देश में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए और इसे सख्ती से लागू किया जाए। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें दवा कंपनियां अपनी लागत से कई गुणा ज्यादा कीमत उपभोक्ताओं से वसूल रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 348 जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने की बात कही है और इस बारे में प्रक्रिया अभी चल रही है।

Govt.